



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

ओ.टी.एस. परिसर के पास, जे.एल.एन. मार्ग, झालाना लिंक रोड,
जयपुर (फोन न. 0141-2719137)

क्रमांक : प.6 (रा.सू.आ./संस्था./2025/1904

दिनांक

03 JUN 2025

विज्ञप्ति

राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर में मंत्रालयिक संवर्ग में स्वीकृत रिक्त पदों पर कार्मिक विभाग, जयपुर के परिपत्र एफ.17(10)/डीओपी/ए-II/94 दिनांक 28.03.2023 के प्रावधानों एवं शर्तों के अध्वधीन राज्य सेवा से सेवानिवृत कार्मिकों के आवेदन आयोग में रिक्त होने वाले रीडर/वरिष्ठ लिपिक/कनिष्ठ लिपिकों पदों हेतु आमंत्रित किये जाते हैं। कम्प्यूटर एवं हिन्दी टंकण का कार्यानुभव रखने वाले आवेदक को प्राथमिता दी जाएगी। आवेदन का प्रारूप आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध है। इच्छुक सेवानिवृत कर्मचारी दिनांक 16 जून 2025 तक सचिव, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर को पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं।


(सुखवीर सैनी)

सचिव

राजस्थान राज्य सूचना आयोग
जयपुर

राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में संविदा पर पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप

1. सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी का नाम :
2. पिता का नाम :
3. जन्म तिथि :
4. अर्हताएं :
5. मूल विभाग का नाम :
6. सेवानिवृत्ति से पूर्व धारित पदनाम :
7. कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण कार्यानुभव :
8. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन :
(सेवानिवृत्ति आदेश, एलपीसी की प्रति संलग्न करें)
9. मूल पेंशन राशि (पेंशन पेमेंट आर्डर की प्रति संलग्न करें)
10. सेवानिवृत्ति के समय धारित पद का वेतनमान व पे-लेवल :
11. विभागाध्यक्ष का प्रमाणपत्र :
12. आवेदित पद का नाम :
13. सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी के निवास का पता मय मोबाईल नंबर :

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी का नाम मय हस्ताक्षर

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिए वचनबंध

अद्योहस्ताखरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों को लगाने के लिए कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र संख्या एफ.17(10)डीओपी/ए-II/94 दिनांक 28.03.2023 में दिये गये सहमत निर्बन्धों और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक हैं। अद्योहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बन्धों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

जयपुर

दिनांक :

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी का नाम मय हस्ताक्षर